



# जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा/प्र.श.के.सं./2022

दिनांक : 30.12.2022

## नियमन कैम्प कार्यक्रम

राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के द्वारा जविप्रा जोनों में स्थित कॉलोनियों के नियमन/आवंटन हेतु समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों/निजी खातेदारों द्वारा जमा कराये गये योजनाओं के रिकॉर्ड के आधार पर जाने में निम्नांकित आवासीय योजनाओं का प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के अन्तर्गत नियमन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समस्त आवेदक अपने भूखण्ड से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर में योजना की शिविर दिनांक को करवाना सुनिश्चित करावें।

### जोन-11

क्र.सं.	कैम्प दिनांक	संसायटी का नाम	योजना का नाम	शिविर स्थल
1.	04.01.2023 से 06.01.2023	निजी खातेदारी	वी.आर.बी. अम्बर	मुहाना कृषि उपज मण्डी ( फल-सब्जी ) सचिव कार्यालय के पास केन्टीन बिल्डिंग, गेट नं. 1 के पास मुहाना रोड, जयपुर
		निजी खातेदारी	दा सफायर पार्क	
		निजी खातेदारी	वी.आर.बी. पर्ल एनक्लेव	
		निजी खातेदारी	दा प्लेटिनम सिटी	
2.	11.01.2023 से 13.01.2023	निजी खातेदारी	समुराई वैली	मुहाना कृषि उपज मण्डी ( फल-सब्जी ) सचिव कार्यालय के पास केन्टीन बिल्डिंग, गेट नं. 1 के पास मुहाना रोड, जयपुर
		निजी खातेदारी	समुराई वैली- I	
		निजी खातेदारी	श्री राधा गोविन्द विला	
		निजी खातेदारी	श्री राम सिटी	
3.	18.01.2023 से 20.01.2023	निजी खातेदारी	केशवम होम लैण्ड	यूनिक सिटी परिसर, ठीकरिया
		निजी खातेदारी	ऑडिट सिटी	यूनिक सिटी परिसर, ठीकरिया
		निजी खातेदारी	ऑडिट सिटी- I	यूनिक सिटी परिसर, ठीकरिया
		निजी खातेदारी	पार्वती रेजीडेन्सी	यूनिक सिटी परिसर, ठीकरिया
		निजी खातेदारी	यूनिक सिटी	यूनिक सिटी परिसर, ठीकरिया
4.	25.01.2023 से 27.01.2023	जविप्रा	सेज पुनर्वास योजना, ग्राम नृसिंहपुरा दादिया	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नृसिंहपुरा दादिया

उपरोक्त योजनाओं की सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) पर आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त योजनाओं की सदस्यता सूची के सम्बन्ध में अथवा अन्य कोई आपत्ति यदि किसी व्यक्ति/संस्था को हो तो कैम्प दिवस या 7 दिवस ( जो भी कम हो ) में सम्बन्धित जोन उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

- ▶ कैम्प में डिमाण्ड ड्राफ्ट ( डी.डी. )/ बैंकर चैक के माध्यम से भी राशि स्वीकार्य।
- ▶ डी.डी. राशि अधिक होने पर आधिक्य राशि कारिफण्ड देय।
- ▶ कैम्प में इन्टरनेट बैंकिंग से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- ▶ कैम्प में नागरिक सेवा केन्द्र में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे।